

हरियाणा कारागार नयिम, 2022

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में लागू 'पंजाब जेल नियमावली-1894' को 'हरियाणा कारागार नयिम, 2022' से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बदि

- हरियाणा कारागार नयिम, 2022 राज्य की सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, सटाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सविलि कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में नविकर नरीध कानूनों के तहत लागू होंगे।
- इन नयिमों को हरियाणा कारागार नयिम 2022 कहा जाएगा। ये नयिम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- हरियाणा कारागार नयिम, 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन और वल्लिप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदति मॉडल जेल नियमावली, 2016 पर आधारति हैं। इन नयिमों में नए भरती कये गए कैदियों के लये उनके व्यक्तगत व्यवहार अधूयन, स्वास्थूय जाँच आर्द हेतु कक्षों की स्थापना का प्रावधान भी शामिल है।
- इन नयिमों के तहत बंदियों के अलगाव के लये वर्गीकरण, गैंगस्टरों और कट्टर कैदियों के लये वशिष प्रावधान कये गए हैं। इसके अलावा कैदियों के अधिकार और करतव्यों को भी शामिल कये गया है।
- हरियाणा कारागार नयिम, 2022 में जेल के आहार में उचति भोजन, इसकी तैयारी और वतिरण प्रबंधन का प्रावधान कये गया है तथा महिला, वृद्ध और मानसकि रूप से बीमार कैदियों के लये भी वशिष प्रावधान कये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि अंगरेज़ी शासन के दौरान अधिसूचति तथा वर्तमान में हरियाणा राज्य में पंजाब जेल नियमावली-1894 लागू थी।